कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / यूजी–2024 / 1621 लखनऊ:दिनांक 13 अगस्त,2024

यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 की प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश।

1. नीट यू0जी0–2024 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की काउसिंलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
2. नीट यू0जी0–2024 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जायेगा।
3. ***पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी स्वयं के मोबाइल नं0 एवं ई–मेल का उपयोग करते हुए पंजीकरण प्रकिया पूर्ण करें क्योंकि किसी भी प्रकार की सूचना का आदान–प्रदान पंजीकरण के समय प्रदान किए गये मोबाईल नं0 एवं ईमेल पर ही किया जायेगा।***
4. ऑनलाइन कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क रू0 2000/– जमा करना अनिवार्य है। उक्त पंजीकरण शुल्क तृतीय चक की कांउसिलिंग तक मान्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक की कांउसिलिंग में पंजीकरण शुल्क जमा नही करता है, तो वह प्रथम चक की कांउसिलिंग हेतु अर्ह नही होगा, किन्तु वह अभ्यर्थी द्वितीय व तृतीय चक की कांउसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस नहीं किया जायेगा, अर्थात् Non Refundable होगा।
5. नीट यू0जी0–2024 मे अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय https://upneet.gov.in पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु **संलग्नक–1** में अंकित किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा **(संलग्नक–1)**
6. अभिलेखो के ऑनलाईन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख https://upneet.gov.in पर अपलोड किये जायेंगे :–
   - ➢ हाईस्कूल मार्कशीट / प्रमाण–पत्र
   - ➢ इण्टरमीडिएट मार्कशीट
   - ➢ आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS, & EX. Army, NCC, FF, PwD) (यदि लागू हो)
   - ➢ डोमिसाईल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
7. अभ्यर्थियो द्वारा निम्नांकित तालिका के अनुसार धरोहर धनराशि आनलाइन प्रकिया के माध्यम से जमा करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की मेडिकल / डेण्टल पाठ्यकम की सीटों हेतु	रू0 30,000 (रु0 तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की मेडिकल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रू0 2,00,000 (रु0 दो लाख मात्र)
3.	निजी क्षेत्र की डेण्टल पाठ्यकम सीटों हेतु	रू0 1,00,000 (रु0 एक लाख मात्र)

8. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी (मेडिकल एवं डेन्टल) दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहतें है, उन्हें रू0 2,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
9. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र की डेन्टल कालेजो की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहतें है, उन्हें रू0 1,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
10. धरोहर धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।
11. ***काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, क्योंकि समस्त चक की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त् अनावंटित एवं प्रवेशित***

अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते मे नियमानुसार वापस की जायेगी, जिस खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है।

12. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आंवटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नही लिया जाता है तो, उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

13. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

14. आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

15. **उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के आरक्षण प्रमाण-पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होगें।**

16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सकें।

17. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

18. उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

19. यू0पी0 नीट यू0जी0-2024 के अन्तर्गत उपश्रेणी के आरक्षण संबंधी लाभ हेतु निम्नांकित बिन्दु के अनुसार निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगें:-

➢ दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र DGHS, MoHFW, New Delhi द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

➢ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 के ब्रोशर में दिया गया है।

➢ एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र (कम से कम "बी" ग्रेडिंग सहित "सी" सार्टीफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

➢ भूतपूर्व सैनिक (युद्ध मे अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र-पुत्री के लिए निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

20. अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् किसी विषमता की स्थिति से बचने के लिए काउन्सिलिंग/च्वाइस फिलिंग से पूर्व ही सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले।

21. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु च्वाईस अपनी वरीयता कम (Priority) में भरी जाये। अभ्यर्थी द्वारा केवल उन्ही मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है, एक बार च्वाईस भरने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस लॉक करने पर किसी भी दशा में लॉक की गयी च्वाईस में संशोधन/परिवर्तन अनुमन्य नही होगा एवं न ही इस संबंध में प्राप्त आवेदन पर महानिदेशालय द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

22. **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

23. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया आवंटित कालेज में पूर्ण की जायेगी।

24. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो मे आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित **संलग्नक-2** में अंकित नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की जायेगी **(संलग्नक-2)**

25. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) **"महानिदेशक,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ"(Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow)** के पक्ष मे तैयार सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो, प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। **(संलग्नक–3)**

26. यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 का शासनादेश एवं ब्रोशर विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in तथा https://dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। **अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।**

कृते महानिदेशक।

संख्या:एम0ई0–3/यू0जी0–2024/